



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या : / पी.ए. / 2021

दिनांक :

ई-मेल / अत्यावश्यक

कार्यालय-आदेश

प्रबन्धक,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ सहयुक्त/सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
(लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी एवं रायबरेली)।

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय कार्यालय ज्ञाप संख्या : एएफ/19432-36/सम्बद्धता/2020, दिनांक 11.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों की चयन समितियां मात्र विश्वविद्यालय के अतिथि गृह (ट्रांजिस्ट हास्टल), लखनऊ विश्वविद्यालय (ओल्ड कैम्पस) में ही सम्पादित करायीं जायें। किन्तु संज्ञान में आया है कि कतिपय सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा अभी भी चयन समितियां महाविद्यालय कैम्पस में सम्पन्न करायी जा रही हैं।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार चयन समितियां मात्र विश्वविद्यालय के अतिथि गृह (ट्रांजिस्ट हास्टल), लखनऊ विश्वविद्यालय (ओल्ड कैम्पस) में ही सम्पादित करायीं जायें तथा चयन समिति सम्पन्न होने के उपरान्त अनुमोदन हेतु चयन समिति के सदस्यों व अभ्यर्थियों के संयुक्त फोटोग्राफ्स एवं शुल्क रसीद की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रस्ताव प्रस्तुत सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.11.2020 के उपरान्त महाविद्यालय कैम्पस में की गयी चयन समितियों पर अनुमोदन प्रदान नहीं किया जायेगा।

2. यह भी निर्देशित किया जाता है कि चयन समिति हेतु विषय विशेषज्ञ नामित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ नियमानुसार किये गये विज्ञापन की प्रतियां, निर्धारित शुल्क जमा किये जाने की शुल्क रसीद एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड किये जाने के साक्ष्य अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : R/97/2021

दिनांक : 18.2.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद।
3. इंचार्ज, अतिथि गृह (ट्रांजिस्ट हास्टल), ल०वि०वि० को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने व यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. इंचार्ज, वेबसाइट, ल०वि०वि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. उप कुलसचिव (सम्ब.)।
6. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों (लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी एवं रायबरेली) को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाईल।


कुलसचिव